

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 14 / 2017

दायर दिनांक 01.03.2017

लाली देवी	उनवान	हारून
	बनाम	

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 12.07.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई जिसमें वकिल वादी हाजिर। हाजिर होकर निवेदन किया की उक्त आराजियात का बटवारा तहसील से हो गया है। स्वयं वादी व प्रतिवादी का हिस्सा प्रथक प्रथक हो गया है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से पत्रावली में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

